10 हजार करोड़ के फंड से एमएसएमई को इक्विटी सपोर्ट
सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड से मिलेगी रिस्क कैपिटल

हैंडलूम, पीतल, चमड़ा और इत्र उद्योग को नई ताकत... ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के जरिये अब तक 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का क्रेडिट वितरित

सस्ती पूंजी और तेज भुगतान से यूपी के एक करोड़ छोटे उद्योगों को सीधा फायदा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए की गई घोषणाएं उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए बड़ी राहत बनकर आई हैं। प्रदेश में एक करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार देने के साथ राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। बजट के प्रावधानों से इन इकाइयों को पूंजी, बाजार और तकनीक तीनों स्तरों पर मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बजट की सबसे अहम घोषणा 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड की है। इसके तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाली एमएसएमई इकाइयों को इक्विटी सहायता मिलेगी। नवाचार, उत्पादन विस्तार, रोजगार सृजन और निर्यात में आगे बढ़ रही यूपी की इकाइयों को इससे खास लाभ होगा।

सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ने से माइक्रो और छोटे उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध होगी। इससे स्टार्टअप, कारीगर आधारित और ग्रामीण उद्योग बिना भारी गारंटी के पूंजी जुटा सकेंगे।

Photo : AI Generated

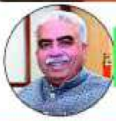

केंद्र का बजट उत्तर प्रदेश की एमएसएमई इंजन के लिए ग्रोथ इंजन का काम करेगा। एक करोड़ से ज्यादा छोटी इकाइयों, एक जिला एक उत्पाद से जुड़ी इकाइयों को सबसे ज्यादा ताकत मिलेगी। 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड से 10% की रफ्तार आएगी तो दूसरी तरफ प्रोफेशनल संस्थानों द्वारा उद्यमियों की मदद से नियमों का अनुपालन सरल होगा। -राकेश सचान, एमएसएमई मंत्री

तेज भुगतान से नकदी संकट से राहत

सरकार ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया है, जिसके जरिए अब तक 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का क्रेडिट एमएसएमई को मिल चुका है। पीएसयू की खरीद ट्रेड्स से, इनवॉइस डिस्काउंटिंग को क्रेडिट गारंटी से जोड़ने और जेम पोर्टल से लिंक करने से यूपी के उद्योगों को समय पर भुगतान मिलेगा।

200 पुराने क्लस्टरों का पुनरुद्धार

- यूपी के पारंपरिक उद्योगों के लिए 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को आधुनिक सुविधाओं से सशक्त किया जाएगा। बनारस की हैंडलूम, मुरादाबाद का पीतल, आगरा का चमड़ा और कन्नौज का इत्र उद्योग इससे नई ताकत पाएंगे।
- कॉरपोरेट मित्र योजना के तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों में एमएसएमई को जीएसटी और अन्य नियमों के अनुपालन में चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, कंपनी सचिव संस्थान और कॉस्ट एकाउंटेंसी संस्थान जैसे संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स उद्यमियों की मदद करेंगे।

कैसा लगा बजट

यह बजट उद्योग को मजबूत करने के लिए संतुलित रणनीति पेश करता है। एक ओर एमएसएमई, हैंडलूम और ओडीओपी जैसे पारंपरिक उद्योगों को सहारा दिया गया है, तो दूसरी ओर सेमीकंडक्टर, एआई और कंटेनर निर्माण जैसे नए उद्योगों के लिए रास्ते खोले गए हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए यह एक सधा हुआ और दूरदर्शी कदम है। -मनोज गुप्ता, चेयरमैन, फिक्की

यह बजट भविष्य की मजबूत नींव रखने का संकेत देता है। एमएसएमई के लिए राहत भरे फैसलों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अधिक लाभ लेने के लिए उद्योग समर्थन बढ़ाया गया है। फ्यूचर ऑप्शन को टैक्स दायरे में लाने से फिजिकल ट्रेड के साथ संतुलन बनेगा। युवाओं को अधिक दक्ष बनाना भी बजट का प्रमुख फोकस है। -श्रवण कुमार विश्वकर्मा, चेयरमैन, शंख एयरलाइंस

केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्यशक्ति तैयार करने पर स्पष्ट फोकस है। बड़ी संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट से वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और जनसांख्यिकीय लाभ का बेहतर उपयोग संभव होगा। -डॉ. उपासना अरोड़ा, अध्यक्ष, सीआईआई उत्तर प्रदेश

एमएसएमई को लेकर सरकार का दृष्टिकोण बेहद सकारात्मक है। देश में 5.93 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड और 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार से छोटे उद्योगों को बड़ी मजबूती मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। -यावर अली शाह, संयोजक, सीआईआई एमएसएमई पैनल

बजट में विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त करने और एमएसएमई आधारित विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। एसएमई ग्रोथ फंड से इक्विटी और तरलता तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे उद्यम नवाचार और विस्तार कर सकेंगे। साथ ही हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी सुधरेगी और उद्योगों को नई गति मिलेगी। -अभिषेक सराफ, उपाध्यक्ष, सीआईआई उत्तर प्रदेश

बजट ने ईमानदार करदाताओं को भूल-चूक सुधारने के लिए मजबूत सुरक्षा कवच दिया है। अब वे अनावश्यक जुर्माने और उत्पीड़न से बच सकेंगे। आयकर सुनवाई के दौरान रिटर्न स्वयं सुधारा जा सकेगा और अधिकारियों को उसी आधार पर कार्रवाई करनी होगी। 10% अतिरिक्त टैक्स देकर करदाता बड़ी परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे। -मनीष खेमका, चेयरमैन, ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट

बजट की घोषणाएं एमएसएमई और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाती हैं। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और हाई-स्पीड रेल के लिए आवंटन, साथ ही सूक्ष्म उद्योगों के लिए ग्रोथ फंड, भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे और छोटे उद्योगों को सीधा लाभ देंगे। - दिनेश गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईआईए

बजट में वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम, गंगा जलमार्ग से कार्गो मूवमेंट और 1,500 किमी के दो हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और 12.2 लाख करोड़ के पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर से 25 बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। - मुकेश सिंह, चेयरमैन, इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूपी

लेदर इंडस्ट्री को कस्टम नियमों और विदेशी निवेश में बड़ी राहत

एमएसएमई को मजबूती, लेदर सेक्टर को राहत, कस्टम नियमों में सरलीकरण से घटेगी लागत...डिजाइन और एफडीआई से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों के बीच केंद्रीय बजट ने लेदर इंडस्ट्री को आंशिक राहत दी है। उद्योग का मानना है कि एमएसएमई, कस्टम नियमों में सरलीकरण, डिजाइन और विदेशी निवेश से जुड़े फैसलों से यूपी के लेदर सेक्टर को मजबूती मिलेगी, हालांकि कुछ अहम मांगें अब भी लंबित हैं। अनुमान है कि इन प्रावधानों से अगले तीन साल में यूपी के लेदर बाजार में करीब 5000 करोड़ रुपये का उछाल आएगा और लगभग 3000 करोड़ रुपये का नया विदेशी निवेश आएगा।

लेदर इंडस्ट्री के मुताबिक बजट में हर सेक्टर को टच किया है। लेदर सेक्टर की 95–98 फीसदी इकाइयां एमएसएमई के तहत आती हैं। बजट में ट्रेड स्कीम का सरलीकरण और 10 हजार करोड़ रुपये से एमएसएमई चैंपियन बनाने की पहल को उद्योग के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी बेहतर लाभ मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना से घरेलू डिजाइन क्षमता बढ़ेगी और युवाओं को अवसर मिलेंगे। फेमा में संशोधन के बाद फुटवियर सेक्टर में सीधा विदेशी निवेश आने का रास्ता साफ होगा।

95–98%
एमएसएमई के अंतर्गत

- 10 हजार करोड़ रुपये से 'एमएसएमई चैंपियन' पहल
- ट्रेड स्कीम का सरलीकरण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा

Photo : AI Generated

यूपी का लेदर बाजार

नियमों में अहम बदलाव

- ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट में निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल
- फुटवियर अपर आयात को मंजूरी
- एफडीआई संशोधन से अगले वर्षों में 20 फीसदी ग्रोथ का अनुमान

इंडस्ट्री की कई मांगें मानी गई हैं। लेदर सेक्टर को फायदा होगा। फुटवियर अपर का आयात की अनुमति नहीं थी। इसे भी मंजूरी मिल गई। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की समयसीमा एक साल होना बड़ी राहत है। -आर के जालान, अध्यक्ष एफडीडीआईई व पूर्व अध्यक्ष चर्म निर्यात परिषद

बजट में वित्तमंत्री से काफी कुछ मिला लेकिन कुछ का इंतजार अभी बाकी है। फिनिश्ड लेदर पर ड्यूटी कम नहीं हुई। रॉ हाइड पर ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई। हालांकि कस्टम्स में संशोधन ईज आफ डूइंग की दिशा में उठाया गया अच्छा कदम है। -मुख्तारुल अमीन, पूर्व अध्यक्ष, चर्म निर्यात परिषद

यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र से 10 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। जैसे-जैसे प्रदेश से प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाएंगे वैसे-वैसे यह राशि जारी की जाएगी। यही नहीं राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) स्कीम के तहत 50 साल के लिए यह राशि यूपी को ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर मिलेगी।

बजट में देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की घोषणा की गई है। इसका सीधा फायदा प्रदेश को भी मिलेगा। इस घोषणा से यूपी में सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के विस्तार को नई गति मिलेगी। राज्य का पहले से मजबूत होता एक्सप्रेसवे नेटवर्क औद्योगिक कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा।

बेहतर कनेक्टिविटी से माल और यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी जिससे उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। कैपेक्स का उद्देश्य आर्थिक विकास को रफ्तार देकर रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक निवेश का आकर्षक केंद्र बनाना है।

बेहतर कनेक्टिविटी से माल और यात्रियों की आवाजाही होगी सुगम...उद्योगों की बढ़ेगी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता

Photo : AI Generated

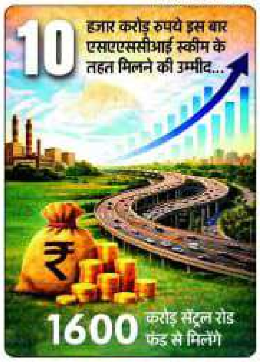

सड़कों और पुलों के निर्माण को मिलेगी रफ्तार : केंद्रीय बजट से सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ) और सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआईआरएफ) के तहत अगले वित्तीय वर्ष में यूपी को 1600 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इससे मध्यम दूरी की सड़कें और पुलों का निर्माण कराया जा सकेगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बताते हैं कि सीआरएफ और सीआईआरएफ के तहत यूपी को 400 करोड़ और पहले कराए गए कामों के एवज में 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिल रहे हैं। इस बार इन दोनों मदों में राशि बढ़कर 1600 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा यूपी

डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्कों में निवेश बढ़ने से यूपी की सामरिक और औद्योगिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रेलवे और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के विकास से राज्य उत्तर भारत के प्रमुख ट्रांजिट और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान बताते हैं कि एसएएससीआई के तहत वर्ष 2025-26 में यूपी को 5 हजार करोड़ रुपये मिले थे। विभागीय अधिकारियों का अनुमान है कि इस बार 10 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके लिए विभाग कार्ययोजना तैयार कर रहा है ताकि समय से प्रस्ताव केंद्र को भेजे जा सकें।

विदेशी संपत्ति घोषणा : 3.5 लाख लोगों को फायदा

लखनऊ। केंद्रीय बजट में विदेशी संपत्तियों की घोषणा से जुड़े नियम में दी गई राहत का सीधा असर यूपी के करदाताओं पर पड़ने वाला है। छोटी और निष्क्रिय विदेशी संपत्तियों को लेकर तकनीकी चूक पर अब ब्लैक मनी कानून के तहत कठोर दंड से बचाव का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के करीब 3.5 लाख लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

- नए प्रावधानों के तहत अब विदेशी बैंक खाते, शेयर, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्ति या अन्य परिसंपत्तियों के मामलों में वास्तविक आय न होने और पहले से कर भुगतान की गई आय से बने निवेश को लेकर सख्ती कम की गई है। यदि किसी करदाता से फॉर्म शिड्यूल एफए में जानकारी भरने में तकनीकी गलती या चूक हो जाती है तो उसे घोषणा में संशोधन का अवसर मिलेगा। प्रदेश में करीब 75 लाख लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। इनमें से उच्च आय वर्ग (50 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय) के 2 से 5 प्रतिशत करदाताओं के पास विदेशी संपत्ति या निवेश होने की संभावना ज्यादा होती है।
- इसी आधार पर प्रदेश में 1.5 लाख से 3.5 लाख तक ऐसे करदाता हो सकते हैं जिन्हें इस नई व्यवस्था से सीधा लाभ मिलेगा। इस राहत का सबसे बड़ा असर मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के उन लोगों पर पड़ेगा जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने विदेश में निवेश किया है या जिनके पुराने निष्क्रिय खाते अब भी रिकॉर्ड में हैं। पहले तकनीकी चूक के डर से कई लोग सही जानकारी देने से हिचकिचाते थे लेकिन अब पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो

ब्लैक मनी कानून के तहत कड़े दंड से बचाव के प्रावधान से निवेश व पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा

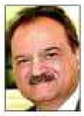

युवा वर्ग लगातार नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा है। कुछ वर्ष वहां रहकर वापसी भी कर रहे हैं। ऐसे में विदेश में संपत्ति खरीदने वाले तेजी बढ़े हैं। सख्ती में ढील से कम से कम 3.5 लोगों को राहत मिलेगी। - विवेक खन्ना, वरिष्ठ कर सलाहकार

कस्टम ड्यूटी में छूट से पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ। केंद्रीय बजट में सोलर, अक्षय ऊर्जा और ई मोबिलिटी से जुड़ी कस्टम ड्यूटी व आयात शुल्क में रियायत से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बजट में लिथियम आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इसका लाभ ग्रिड-स्तरीय बैटरी स्टोरेज और पॉवर सिस्टम बैलेंसिंग को मिलेगा। सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। यह सोलर ग्लास का एक प्रमुख कंपोनेंट है, जो ग्लास की गुणवत्ता, मजबूती और प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। ड्यूटी हटने से सोलर ग्लास और इससे सोलर मॉड्यूल व पैनल की लागत घटेगी। बजट प्रावधानों के बाद नोएडा, लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के साथ ईवी कंपोनेंट्स, बैटरी पैक असेंबलिंग और चार्जिंग से जुड़े निवेश के अवसर बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो

इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण सुरक्षा पर जोर

माधव कृष्ण सिंघानिया
सीईओ, जेके सीमेंट

विशेषज्ञ राय

सीमेंट, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर्यावरण अनुकूल उत्पादन की ओर बढ़ेंगे

सरकार ने इस बजट में बुनियादी ढांचे, हरित विकास, स्किल डेवलपमेंट और सामाजिक कल्याण को एक साथ आगे बढ़ाने की स्पष्ट रणनीति अपनाई है। इससे अर्थव्यवस्था को स्थिर और दीर्घकालिक गति मिलने की उम्मीद है। सड़क, रेलवे, आवास और शहरी विकास परियोजनाओं में निवेश बढ़ने से सीमेंट और निर्माण सामग्री उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से सीमेंट की मांग में निरंतर वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। लॉजिस्टिक्स सुधार और ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बढ़ावा मिलने से लागत घटेगी। जीएसटी 2.0 के तहत सीमेंट पर टैक्स 28 से घटकर 18 प्रतिशत होने का सकारात्मक असर पहले ही दिख रहा है, और नए प्रावधानों से उद्योग में 8–10 प्रतिशत सालाना वृद्धि संभव है। सरकार द्वारा घोषित 20 हजार करोड़ रुपये का सस्टेनेबिलिटी फंड उद्योगों को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा दक्ष संयंत्र स्थापित करने में मदद करेगा। इससे सीमेंट, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर्यावरण अनुकूल उत्पादन की ओर बढ़ेंगे। एमएसएमई के लिए सस्ती क्रेडिट, क्रेडिट गारंटी विस्तार और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा यूपी जैसे राज्यों में उत्पादन और स्थानीय रोजगार को मजबूती देगा। साथ ही स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री-लिंक्ड ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप से युवाओं को आधुनिक कौशल मिलेगा।

एक्सप्रेसवे और शहरी विकास को रफ्तार

सुरेश कुमार खन्ना, वित्तमंत्री उत्तर प्रदेश

विशेषज्ञ राय

स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे

यह बजट प्रदेश के समग्र, संतुलित और तेज विकास को नई दिशा देने वाला है। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से यूपी में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब, रेलवे और शहरी आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी, जिससे निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। औद्योगिक प्रोत्साहन और एमएसएमई को समर्थन मिलने से छोटे और मध्यम उद्योग मजबूत होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डिजिटल नॉलेज ग्रिड युवाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 ऐतिहासिक शहरों के विकास और 10 हजार टूरिस्ट गाइड तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जिससे यूपी का पर्यटन तेजी से आगे बढ़ेगा। एआई हब और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश से यूपी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनेगा। 20 हजार करोड़ रुपये से खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में कार्बन उत्सर्जन कम किया जाएगा। दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर व जलमार्ग परियोजनाएं व्यापार को नई रफ्तार देंगी। बजट में बुजुर्गों के लिए 1.5 लाख केयरगिवर, महिलाओं के लिए हॉस्टल, गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने और कृषि-ग्रामीण विकास पर जोर देकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।